

रूरल इलेक्ट्रिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

कंपनी सचिव प्रभाग

दिनांक: 21 नवंबर, 2012

सं.एसईसी-1/8(1)2012/6633

ऋण नीति परिपत्र-संख्या 005/2012

विषय: राज्य क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए आरईसी की प्रतिबद्धता नीति में संशोधन।

संदर्भ: ऋण नीति परिपत्र संख्या एसईसी-1/8(1)/2005/123 दिनांक 6 जुलाई, 2005

ऋण नीति परिपत्र संख्या एसईसी-1/8(1)/2005/123 दिनांक 6 जुलाई, 2005 "प्रतिबद्धता शुल्क" से संबंधित मौजूदा पैरा 16 (ख) के आंशिक संशोधन में, आरईसी के निदेशक मण्डल ने अपने 2 नवंबर, 2012 को आयोजित 391 बैठक में राज्य क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए आरईसी की प्रतिबद्धता नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। परिवर्तित/संशोधित पैरा 16 (ख) का उद्धरण इस प्रकार है;

"16. प्रतिबद्धता शुल्क —

(ख) राज्य क्षेत्र के उधारकर्ताओं को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार निकासी अनुसूची के संभावित संशोधन की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते अनुरोध पिछले वित्तीय वर्ष के 15 मार्च तक प्राप्त हो।

3. पहले अधिसूचित ऋण/योजनाओं के अन्य सभी नियम और शर्तें भी अपरिवर्तित रहेंगी।

4. मंजूरी पत्र जारी करने वाले क्षेत्रीय प्रबंधकों/मुख्य कार्यक्रम प्रबंधकों और कॉर्पोरेट कार्यालय के अन्य अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त संशोधित नियम और शर्तें सभी संबंधितों को विधिवत प्रसारित की जाएं और मंजूरी पत्रों में उचित ढंग से शामिल की जाएं।

भवदीय,



(जे.एस. अमिताभ)

महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

वितरण:

1. आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के सहायक प्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारी और निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी।
2. आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय के सभी कार्यपालक निदेशक/महाप्रबंधक।
3. आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय के अपर महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक।
4. आरईसी के सभी आंचलिक कार्यालयों/पीओ के आंचलिक प्रबंधक/मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक, सायर के अपर निदेशक और आरईसी उप-कार्यालयों के प्रभारी।
5. आरईसी के अपर महाप्रबंधक (आईटी) - आरईसी वेबसाइट और इंटरनेट पर अपलोड करने की व्यवस्था के लिए।
6. आरईसी के उप महाप्रबंधक (राजभाषा) - हिंदी में अनुवाद के लिए।